Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding the exclusion of Tribal people from reservation category who got converted to other religion from the list of Scheduled Tribes.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय हो गया है । आर्टिकल 341 और 342 में शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन एवं सारी सुविधाएं मिली हैं । बाबा साहेब अंबेडकर के इस संविधान के प्रति पूरे देश की श्रद्धा है । लेकिन, यह जो धर्मांतरण है, यह विषय इसलिए ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनको लोभ के आधार पर धर्मांतरित किया जा रहा है । आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिला है, उसमें कहा गया है कि जैसे ही वे धर्म परिवर्तन करेंगे, उनका शेड्यूल कास्ट का स्टेट्स खत्म हो जाएगा । इस कारण से शेड्यूल कास्ट अभी भी बचा हुआ है । लेकिन, शेड्यूल ट्राइब्स का एक अलग डिस्टिंक्ट नेचर है, वे अलग तरह से व्यवहार करते हैं, अलग तरह से विचार करते हैं । वे हमारे लोग हैं, जिनका विकास करना है ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 341 की तरह ही 342 को लागू कीजिए । जो भी शेड्यूल ट्राइब्स धर्मांतरित होते हैं, उनका रिजर्वेशन वापस कीजिए । इससे देश का कल्याण होगा और धर्मांतरण रूकेगा ।